फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री दिलीप सिंह निवासी दीप भवन, देसूरी, पाली जिला पाली — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 55/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :— भू.अ./RTI/2025/08 दिनांक 25.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र आरटीआई ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.05.2025 को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी श्री दिलीपसिंह को दुरभाष पर सम्पर्क करने की कोशिश की गयी तो फोन नही उठाया गया एवं दुरभाष नंबर अनुपलब्ध बताया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना अपस्ष्ट एवं विस्तृत है एवं चाही गयी सूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त आराजीयात किस गॉव के है एवं कब्जा किस अवधि में हटाया गया यह भी उक्त पत्र में अंकित नहीं है। अतः सूचना अदेय है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना अस्पस्ष्ट एवं विस्तृत है एवं चाही गयी सूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त आराजीयात किस गॉव के है एवं कब्जा किस अवधि में हटाया गया यह भी उक्त पत्र में अंकित नहीं होने से वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अतः उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट तथा विशिष्टिया विहिन होने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। साथ ही अपीलाथी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टिया अंकित कर नियमानुसार आवेदन करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	